नगर निगम शिमला

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा शिमला शहर में निर्मित पार्किंगो/दुकानों/स्टालों/कन्टीनें को खुली बोली द्वारा आबंटित/विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह खुली बोली निम्नलिखित स्थानों, तिथियों व समय पर की जानी निश्चित की गई है उक्त खुली बोली हेतू इच्छुक बोलीदाता को निर्धारित तिथि को प्रातः 10.00 बजे से 11.30 बजे तक निम्नलिखित नियम व शर्तें पूर्ण करते हुऐ धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम शिमला के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। धरोहर राशि निलाम की जाने वाली सम्पतियों के सामने दर्शाई गई है:-

क्र.सं.	निलामी का विवरण	निलामी हेतू निर्धारित स्थान	निलामी तिथि	स्मय
1.	पार्किंगें क्रम संख्या 1 से 10	मैट्रोपोल कॉम्पलैक्स, कार पार्किंग कार्ट रोड़ शिमला।	16.04.2021	12.00 बजे दोपहर
2.	पार्किंगें क्रम संख्या 11 से 22	मैट्रोपोल कॉम्पलैक्स, कार पार्किंग कार्ट रोड़ शिमला।	17.04.2021	12.00 बजे दोपहर
3.	दुकाने/स्टॉल क्रम संख्या 1 से 4	मौके पर दुकान/स्टॉल/स्थान	19.04.2021	12.00 बजे दोपहर
4.	दुकाने/स्टॉल/कन्टीनें क्रंम संख्या 5 से 8	मौके पर दुकान/स्टॉल/स्थान	20.04.2021	12.00 बजे दोपहर

जिन सम्पतियों को खुली बोली द्वारा आबंटित/विकय किया जाना है उनकी सूची निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Name of Parking	Parking capacity (No. of Vehicle)	Type	Period	Security amount	Reserve Price (per Annum)
1.	M.C. Car Parking, SDA Complex, Kasumpti Shimla.	21	Domestic	2 Years	35,000/-	1,20,000/-
2.	Amar Bhawan Titla Hotel Jakhu car Parking ground & 1st Floor.	27	Domestic	2 Years	36,000/-	1,45,000/-
3.	Car parking Near Cecil Hotel Chaura Maidan	25	Commercial	2 Years	76,000/-	3,50,000/-
4.	Car Parking, Community Centre, Kaithu, Shimla.	15	Domestic	2 Years	20,000/-	80,000/-
5.	New Shimla, Sector-2 Car Parking. Himgalary.	20	Domestic	2 Years	34,000/-	1,15,000/-
6.	Jakhoo Tempal Near Baba Balak Nath Tempel	50	Domestic	2 Years	48,000/-	1,75,000/-

7.	Kandhari Niwas Anadale Shimla	20	Domestic	2 Years	25,000/-	1,00,000/-
8.	Near Fauji Dhaba New Shimla	40	Domestic	2 Years	60,000/-	2,10,000/-
9.	Stocks Place Banmore Place Shimla	14	Domestic	2 Years	20,000/-	80,000/-
10.	Oppositte Janjatiya Bhawan Dhalli	15	Domestic	2 Years	20,000/-	85,000/-
11.	Road Side Parking Police Line Kaithu	8	Domestic	2 Years	10,000/-	40,000/-
12.	Road Side Parking Tarahall to Kalibari	8	Domestic	2 Years	10,400/-	40,000/-
13.	Road Side Parking Cecil Chaura Maidan	15	Commercial	2 Years	20,000/-	70,000/-
14.	Road Side Parking Near JCB School New Shimla	13	Domestic	2 Years	10,000/-	45,000/-
15.	Road Side Car Parking Lamba Qtr. Tutikandi	15	Domestic	2 Years	15,000/-	65,000/-
16.	Road Side Car Parking Bemloi Shimla	12	Domestic	2 Years	20,000/-	65,000/-
17.	Road Side Car Parking Khalini to Forest Office via Alpine Hotel Talland	44	Commercial	2 Years	1,50,000/-	6,00,000/-
18.	M.C. Parking at Rirka, Tuti Kandi, Shimla.	80	Domestic	2 Years	90,000/-	3,60,000/-
19.	M.C Parking Aadavila Anadale, Shimla.	35	Domestic	2 Years	45,000/-	1,50,000/-
20.	M.C Parking Near Auckland School	10	Domestic	2 Years	20,000/-	60,000/-
21.	M.C Car Parking W. No. 24 , Near Block No. 18 HBC , Sanjauli, Shimla	7	Domestic	2 Years	10,000/-	40,000/-
22.	M.C Car Parking near Fauji Shop, lower Khalini, Shimla	20	Domestic	2 Years	25,000/-	1,00,000/-

दुकानों/स्टालों का विवरणः

Sr.No.	Location of Shops/Stalls/Canteen	Size of Shop/Stall	Period	Secutiry Money	Reserve Price. P.M
1.	Shop at Jiwanu Colony Pantha ghati.	147 Sq.Ft.	10 years	Rs. 25,000/-	Rs. 20,000/- P.M
2.	Shop No. 1 at Perimehal Chowk, Kasumpti Shimla	133.10 Sq.ft	10 years	Rs.25,000/-	Rs. 20,000/- P.M
3.	Shop No. 2 at Perimehal Chowk, Kasumpti Shimla	133.10 Sq.ft	10 years	Rs.25,000/-	Rs. 20,000/- P.M
4.	Stall old post office, lower Bazar	20.70 sq.ft.	10 years	Rs. 15,000/-	Rs. 15,000/- P.M
5.	Shop No. 6 Commercial Complex, Nabha (2nd floor).	150.10 Sq.ft.	10 years	Rs. 25,000/-	Rs. 10,000/- P.M
6.	M.C Canteen Metropole, top Floor, Shimla	168 Sq.ft.	2 years	Rs.10,000	Rs. 35,00/- P.M
7.	M.C Canteen Metropole, 5th Floor, Shimla	168 Sq.ft.	2 years	Rs.10,000	Rs. 35,00/- P.M
8.	M.C Canteen Metropole, 4th Floor, Shimla	168 Sq.ft.	2 years	Rs.10,000	Rs. 35,00/- P.M

नियम व शर्तेः–

1. बोलीदाता को बोली आरम्भ होने से पूर्व सूची में सम्पतियों के समक्ष दर्शाई धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम शिमला/आयुक्त नगर निगम शिमला के नाम निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की धरोहर राशि की नकदी/ट्रांजैक्शन मान्य नहीं होगी।
2. उच्चतम बोलीदाता को कुल बोली राशि का 25% बोली समाप्त होने के अगले दिन जमा करना होगा तथा बकाया 75% राशि के 10 पोस्ट डेटिड चैक प्रतिमाह के, कब्जा लेने से पूर्व सम्पदा शाखा में जमा करने होंगे, अन्यथा उच्चतम बोली को, धरोहर राशि जब्त करते हुए रद्द कर दिया जायेगा व द्वतीय बोलीदाता को कब्जा सौपने बारे कार्यवाही की जायेगी।
3. उच्चतम बोली दाता को उच्चतम बोली केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार 18% जी.एस.टी अतिरिक्त देय होगा। यदि सरकार इसमें किसी प्रकार का संशोधन करती है तो जी.एस.टी का भुगतान यथानुसार करना होगा।
4. धरोहर राशि के डिमांड ड्राप्ट जमा न करने पर कोई भी व्यक्ति बोली में भाग लेने का हकदार नहीं होगा तथा धरोहर राशि निश्चित तिथि व समय पर जमा करनी होगी।

5. पार्किंग के उच्चतम बोलीदाता को निगम द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप ही पार्किंग फीस वसूल करनी होगी। ऐसा न करने पर शिकायत प्राप्त होने पर उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा व ठेका रद्द कर दिया जायेगा।

6. आंबटित की जाने वाली सम्पतियों में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा लिया गया निर्णय दोनो पार्टियों को मान्य होगा। विवाद की स्थिति में न्यायालय अधिकार क्षेत्र शिमला होगा।

7. बोली के दिन यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर ही की जायेगी।

8. निगम द्वारा जिन सम्पतियों की निलामी खुली बोली द्वारा की जा रही है, उन सम्पतियों में उच्चतम बोलीदाता निगम का देनदार नहीं होना चाहिए पता लगने पर उस बोलीदाता की बोली को रद्द कर दिया जायेगा।

9. खुली बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को निगम द्वारा तय की गई शर्तों पर यदि किसी प्रकार की कोई आपति हो तो बोली आरम्भ करने से पूर्व अपनी आपतियों दायर कर सकता है, बोली आरम्भ होने के उपरान्त किसी भी प्रकार की आपति पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. आयुक्त नगर निगम शिमला को बोली स्थगित/रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

11. सरकार एवं आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा निर्देश सफल बोलीदाता को मान्य होंगे।

12. आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/अधीक्षक नगर निगम शिमला व सम्पदा शाखा में कार्यरत निरीक्षकों को ठेके पर आंबटित सम्पतियों को किसी भी समय निरीक्षण का अधिकार होगा।

13. सफल बोलीदाता को बोली की समाप्ति के सात दिनों के भीतर नगर निगम शिमला के साथ अनुबन्ध करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर अनुबन्ध नामा दायर न करने अथवा शर्तों का उलग्न करने पर ठेका रद्द समझा जायेगा और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

14. ठेकेदार को पार्किंग के संचालन हेतू कर्मचारियों को अपने स्तर पर रखना होगा। रखे गये कर्मचारियों व ठेकेदार के बीच में विवाद होने पर नगर निगम की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

15. आंबटित पार्किंगों के उच्चतम बोलीदाता को पार्किंग में वसूली हेतू नगर निगम द्वारा तैयार रसीदों को ही प्रयोग करना होगा रसीदे प्राप्त करने हेतू राशि रू0 50/– सम्पदा शाखा में जमा करवाने होगें। अपनी छपवाई हुई रसीदें मान्य नहीं होगी। ऐसा करने पर निरीक्षण के दौरान अपनी छपवाई हुई रसीदे पाये जाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व ठेका रद्द कर दिया जायेगा।

16. उच्चतम बोलीदाता को आंबटित पार्किंग में निगम द्वारा तय की पार्किंग फीस का बोर्ड मेन गेट पर लगाना अनिवार्य होगा।

17. बोलीदाता को बोली से पूर्व अपना पैतृक गांव/शहर का स्थाई पता, पत्राचार पता, आधार कार्ड, पैनकार्ड, मोबाईल नं0 से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होगें।

18. निलाम की जाने वाली सम्पतियों बारे अधिक जानकारी हेतू अधीक्षक सम्पदा नगर निगम शिमला के कार्यालय में दूरभाष नम्बर 0177–2802779 पर किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

19. निगम द्वारा निर्धारित दरों से यदि बोलीदाता द्वारा वाहन शुल्क अधिक वसूल किया जाता है तो प्रथम शिकायत प्राप्त होने पर चेतावनी नोटिस जारी किया जायेगा तथा पुनः शिकायत एवं दोष सिद्ध होने पर रू0 20,000/– जुर्माना वसूल किया जायेगा। यदि बार–बार अधिक वसूली बारे शिकायत प्राप्त होती है तो ठेका रद्द कर दिया जायेगा। यह जुर्माना इकरारनामों की अन्य शर्तो की उल्लघंना करने पर भी वसूल किया जायेगा। पुनः शियकत प्राप्त होने एवं दोष सिद्ध होने पर आंबटन रद्द कर दिया जायेगा व उसे बलैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

20. निगम की दुकानों/स्टॉलों आदि की बोली में भाग लेने के लिए यह शर्त है कि बोलीदाता भाग लेने अथवा किसी परिसम्पति के आंबटन हेतू यह आवश्यक है कि किसी आंबटी के पास पूर्व में नगर निगम की कोई अन्य दुकान/स्टॉल/लीज पर भूमि नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर जमा की गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने के साथ दी गई बोली रद्द कर दी जायेगी।

21. बोलीदाता को यह भी अनिवार्य है कि निविदा में भाग लेने हेतू व्यक्ति नगर निगम का किसी भी प्रकार की राशि जैसे लीज मनी, किराया राशि, कूडे का बिल व सम्पति कर आदि की देनदारी लम्बित न हो। ऐसा होने पर जमा की गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने के साथ दी गई बोली रद्द कर दी जायेगी।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।

नगर निगम शिमला

नीलामी सूचना में दर्शायें गये नियम व शर्तों के अतिरिक्त पार्किंगों, दुकानों, कन्टीनों के लिए अन्य नियम व शर्तें निम्न प्रकार से हैं :–

1. कार पार्किंग को उच्चतम निविदा राशि के आधार पर दो वर्ष के लिये ठेके पर दिया जाएगा। ठेका पूरा होने पर इसके पश्चात निविदाकार/पट्टाधारी को पार्किंग का शान्तिपूर्वक कब्जा नगर निगम को सौंपना होगा।

2. पट्टाविलेख का खर्चा पट्टाधारी/ ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा तथा कार पार्किंगों में वाहनों को पार्क करने का किराया निगम द्वारा निम्न निर्धारित दरों अनुसार वसूल किया जाएगा।

3. लिफट, मैट्रोपोल कार्ट रोड, कार पार्किंग खलीनी, सिसल, रैन बसेरा (व्यवसायिक पार्किंगें) दरो की सूचीः– (30 प्रतिशत स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाऐ।

समय	छोटी कारें वेन,जीप इत्यादि की निर्धारित दरें।	टाटासूमो, एस्टीम, सिलो, अन्य लम्बी कारों की निर्धारित दरें।	स्कूटर/ मोटर साईकिल इत्यादि की निर्धारित दरें।
0 से 2	15.00 रूपये	20.00 रूपये	5.00. रूपये
0 से 4	30.00 रूपये	40.00 रूपये	10.00 रूपये
0 से 6	50.00 रूपये	60.00 रूपये	20.00 रूपये
0 से 12	100.00 रूपये	120.00 रूपये	40.00 रूपये
0 से 24	170.00 रूपये	200.00 रूपये	80.00 रूपये
मासिक	2000.00 रूपये	2500.00 रूपये	750.00 रूपये

निगम कार पार्किंग नजदीक जोधा निवास,अमर भवन, एस.डी..ए काम्पलैक्स कसुम्पटी, अग्रवाल धर्मशाला, टिम्बर हाउस व अन्य चिन्हित पार्किंगे (80 प्रतिशत स्थानीया लोगों के लिए आरक्षित जिसमें स्थानीयों लोगों को प्राथमिकता दी जाऐ)

समय	छोटी कारें वेन,जीप इत्यादि की निर्धारित दरें।	टाटासूमो, एस्टीम, सिलो, अन्य लम्बी कारों की निर्धारित दरें।	स्कूटर/ मोटर साईकिल इत्यादि की निर्धारित दरें।
0 से 2	10.00 रूपये	15.00 रूपये	5.00. रूपये
0 से 4	15.00 रूपये	20.00 रूपये	5.00 रूपये
0 से 6	20.00 रूपये	25.00 रूपये	10.00 रूपये
0 से 12	25.00 रूपये	30.00 रूपये	15.00 रूपये
0 से 24	30.00 रूपये	35.00 रूपये	20.00 रूपये
मासिक	600.00 रूपये	800.00 रूपये	300.00 रूपये

सड़क पार्किंग/यैलो लाईन पार्किंग के लिए वाहनों को खड़े करने का शुल्क प्रातः 8:00बजे से 8:00बजे तक निम्न अनुसार ठेकेदार द्वारा वसूल किया जायेगा।(30 प्रतिशत स्थानीय लोगों के हि आरक्षित जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की प्राथमिकता दी जाए)

समय	चार पहिये वाले हल्के वाहनों निर्धारित दरें	दो पहियें वाले स्कूल/मोटर साईकल की निर्धारित दरे।
0 -2	10/- प्रति वाहन	5/-
0-4	20/- प्रति वाहन	10/-
0-6	30/- प्रति वाहन	15/-
0-12	40/- प्रति वाहन	20/-

कार पार्किंग/दुकाने व कन्टीनें

1. पार्किंग स्थल पर बड़ें वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। किन्तु टाटा सूमो, सिलो, एस्टीम व अन्य बड़ी कारों को निर्धारित दरों पर पार्क करने की अनुमति होगी।
2. सफल निविदाकार को पार्किंगों में स्थानीय लोगों को गाड़ी पार्क करने के लिए सर्वप्रथम सुविधा प्रदान करनी होगी।
3. पार्किंग स्थल में/ से यदि कोई वाहन चोरी / क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसमें नगर निगम की कोई जिम्मेवारी नही होगी। इसके लिए अनुबन्धधारी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. पार्किंग स्थल से बाहर खड़ें वाहनों का किराया अनुबन्धधारी वसूल नही करेगा न ही पार्किंग स्थल से बाहर वाहन खड़ें करने की अनुमति होगी।
5. अनुबन्धनामा की शर्तो का उल्लंघन करने पर अनुबन्ध रद्द समझा जायेगा और धरोहर राशि/ प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी तथा पार्किंग स्थल का कब्जा बिना नोटिस दिये वापिस ले लिया जायेगा।
6. **उच्चतम निविदाकार पार्किंग का ठेका आगे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा और न ही इसे सबलेट करेगा अन्यथा ठेका तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा। पार्किंग स्थल को साफ रखने की जिम्मेवारी भी निविदाकार की होगी व निविदाकार को पार्किंग स्थल पर केवल गाड़ियां खड़ी करने का ही अधिकार होगा, और इस पार्किंग पर निविदाकार का कोई अधिकार उक्त प्रयोजन के अतिरिक्त नहीं होगा तथा न ही पार्किंग में होर्डिंग,बैनर लगायेगा।**
7. **पार्किंग के बिजली का बिल, स्थल की सफाई तथा यदि शौचालय हो तो उसकी भी सफाई तथा पानी का बिल भी निविदाकार/अनुबन्धधारी स्वयं वहन करेगा।**

8. आयुक्त नगर निगम शिमला के पास पार्किंग में होर्डिंग/ बैनर तथा अन्य प्रकार की स्वीकृति देने का अधिकार सुरक्षित होगा।

9. दुकान/स्टॉल/कन्टीन जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उपलब्ध सुविधाओं के साथ सौंपें जाएगें तथा उच्चतम निविदाकार को स्वीकृती पत्र की तिथि से 7 दिनों के भीतर अग्रिम रूप में 6 माह की किराया राशि निगम कोष में जमा करवानी होगी।

10. नगर निगम की पूर्व लिखित अनुमति लिये बिना पट्टाधारी दुकान/स्टाल/कन्टीन को किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को हस्तान्तरित या लीज तथा लाईसैंस पर नहीं देगा और न ही किसी के साथ सांझीदारी करने का अधिकार होगा तथा न ही सबलेट करेगा। अनुबन्ध नामा के शर्तो का उल्लंघन करने या निर्धारित मासिक ठेका/लीज राशि नियमित रूप से न जमा करने पर अनुबन्ध तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा तथा धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

11. नगर निगम शिमला या अन्य विभागों द्वारा समय-समय पर लगाये जाने वाले सभी प्रकार के कर/सेवाकर इत्यादि पट्टाधारी को स्वयं वहन करने होगे और आवश्यक लाईसैंस/प्रमाण पत्र अपने स्तर पर लेने होगें।

12. लीज/इकरानामा की सभी शर्तो के किसी भी भाग का उल्लंधन होने की दशा में आयुक्त, नगर निगम शिमला को अधिकार होगा कि वह किसी भी समय लीज/इकरानामा को तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के रद्द कर सकेगें तथा जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

13. उच्चतम निविदाकार को दुकान/स्टाल/कन्टीन के आगे पड़े खाली स्थान/बरामदे में किसी प्रकार का सामान रखने का अधिकार न होगा और न ही वह किसी अन्य व्यक्ति को यहां बैठ्ने देगा तथा जितना स्थान आवंटित है उतना ही प्रयोग करेगा।

14. लीज की अवधि पूरी होने से पूर्व जनहित में यदि आवश्यक हो तो आयुक्त, नगर निगम शिमला को लीज रद्द करने व दुकान का कब्जा वापिस लेने का अधिकार होगा।

15. उच्चतम निविदाकार को निगम की दुकान/ स्टाल/कन्टीन सही दशा में रखनी होगी। इसमें निगम की बिना पूर्व स्वीकृति के कोई भी परिवर्तन करने की अनुमति न होगी। निगम सम्पति में किसी प्रकार की क्षति होगी तो बिना किसी पूर्व सूचना के दुकान का कब्जा वापिस ले लिया जाएगा और धरोहर/प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

16. दुकान/स्टाल/कन्टीन की सफाई व इसके आस-पास के स्थान को साफ-सुथरा अपने खर्चे पर रखना निविदाकार/पट्टाधारी की जिम्मेवारी होगी।

आयुक्त
नगर निगम शिमला।